प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
12 अगस्त, 2025

संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) संसद में प्रस्तुत

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) संख्या 7 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

इस प्रतिवेदन में 10 मंत्रालयों/विभागों और उनके स्वायत्त निकायों से संबंधित 16 व्यक्तिगत अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹198.71 करोड़ है। प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

कोयला मंत्रालय

कोयला नियंत्रक संगठन

सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए, भुगतान आयुक्त ने एक चालू खाता (जून 2015) खोला और कोयला ब्लॉकों के पूर्व आवंटियों को भुगतान के लिए उक्त खाते में पैसा जमा कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सरकारी खाता न खुलने के कारण जून 2016 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान सरकारी खजाने को ₹11.77 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

(पैरा 3.1)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सूरत में आमों और अन्य फलों के लिए एसेप्टिक पैकेजिंग लाइन और कैनिंग लाइन (प्रसंस्करण संयंत्र) और नवसारी और वलसाड में दो मशीनीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) को ₹10.00 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसएएमबी ने प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया तथा स्वीकृत स्थानों पर दो पैक हाउस स्थापित करने के बजाय सूरत में एक मौजूदा पैक हाउस को उन्नत

किया। हालाँकि, एपीडा ने जीएसएएमबी को ₹8.90 करोड़ की पात्र सहायता के मुकाबले 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता (₹10.00 करोड़) जारी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी हुई। इस प्रकार, दक्षिण गुजरात के आदिवासी किसानों के लाभ के लिए नवसारी और वलसाड में पैक हाउस स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो गया।

(पैरा 4.1)

एपीडा ने केरल के एलांजी गांव में निर्यातोन्मुख फल एवं सब्जी उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद (सीएफआरडी), केरल को ₹7.35 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की (मार्च 2015)। एपीडा और सीएफआरडी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, परियोजना को सितंबर 2016 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित तिथि से सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, जुलाई 2024 तक परियोजना पूरी नहीं हुई। परियोजना पूरी न होने और स्थापित उपकरणों के खराब होने के बावजूद, एपीडा ने न तो सीएफआरडी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी (₹3.67 करोड़) को लागू किया, न ही देरी के लिए सीएफआरडी पर कोई जुर्माना लगाया और इसके बजाय परियोजना को पूरा करने की समयसीमा को बार-बार बढ़ाया। इस प्रकार, एपीडा द्वारा समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.61 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही ₹36.75 लाख का जुर्माना वसूल नहीं किया गया।

(पैरा 4.2)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफ़टी) में प्रशासनिक मुद्दों' पर की गई अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं:

- आईआईएफटी के मैदानगढ़ी परिसर के निर्माण में लगभग सात वर्षों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण भूमि की लागत (₹26.62 करोड़) के अलावा, आईआईएफटी द्वारा 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए भुगतान किया गया ₹5.32 करोड़ का भूमि किराया निष्फल हो गया।
- बिना किसी अनिवार्य अनुमोदन के आईआईएफटी के शिक्षकों के वेतनमान को भारतीय प्रबंधन संस्थानों के वेतनमानों के समतर किया गया, जो केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के अंतर्गत आते थे।
- आईआईएफटी ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें प्रत्येक वर्ष शिक्षकों से अपेक्षित न्यूनतम कार्य निर्दिष्ट किया गया, जिसमें न्यूनतम कार्यभार से अधिक होने पर शिक्षकों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान था, तथा शिक्षकों के लिए 'शोध प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहन' पर नीति थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानित विश्वविद्यालयों के

लिए ऐसी कोई प्रोत्साहन योजना अधिसूचित या समर्थित नहीं की गई थी। इसके अलावा, आईआईएफटी ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय से अपने शिक्षकों को प्रोत्साहन के भुगतान के लिए अनुमोदन नहीं मांगा।

- व्यय विभाग ने 12 अप्रैल 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्देश दिया कि वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के तहत पदों के सृजन के संबंध में सभी प्रत्यायोजित शक्तियां वापस ली जाती हैं और केवल वित्त मंत्री (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के पदों के लिए) और मंत्रिमंडल (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों के लिए) ही पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। हालांकि, आईआईएफटी के प्रबंधन बोर्ड ने इन पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वित्त अधिकारी का एक पद, सहायक रजिस्ट्रार (राजभाषा) का एक पद और सलाहकारों के 14 पदों के बदले में सहायक प्रोफेसरों के 14 पद सृजित किए।

(पैरा 4.4)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान

'फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान की स्थापना एवं कार्यप्रणाली' पर मार्च 2024 तक की अवधि की अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं:

- फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) के प्रबंधन ने 2013-14 में स्वीकृत अंकलेश्वर में एफडीडीआई के नए परिसर की स्थापना से पहले विस्तृत व्यवहार्यता विश्लेषण नहीं किया, जबकि वर्ष 2013-14 में मौजूदा आठ परिसरों में नामांकन में कमी थी। इसके अलावा, एफडीडीआई परिसर अंकलेश्वर में स्थापित किया गया, जहां पारंपरिक या आधुनिक फुटवियर उद्योगों की मजबूत उपस्थिति नहीं थी।
- पिछले सात शैक्षणिक वर्षों के दौरान अंकलेश्वर परिसर में 825 सीटों की उपलब्धता के मुकाबले केवल 94 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। इसका कारण प्रचार-प्रसार गतिविधियों में कमी, संकायों/कर्मचारियों की अपर्याप्त नियुक्ति, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति न होना आदि हैं। नतीजतन, अंकलेश्वर परिसर में 800-1,000 छात्रों को समायोजित करने के लिए ₹101.48 करोड़ की लागत से बनाए गए बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया।
- एफडीडीआई, अंकलेश्वर के 27 विद्यार्थियों के फीडबैक सर्वेक्षण के अनुसार, 66 प्रतिशत उत्तरदाता एफडीडीआई, अंकलेश्वर में उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे (उन्होंने खराब/औसत ग्रेडिंग दी), जिससे संस्थान के खराब प्रदर्शन का संकेत मिलता है।

(पैरा 4.5)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईइपीएफए/ प्राधिकरण) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के प्रशासन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, निधि में कुल ₹5,714.51 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी। इस राशि में से, आईईपीएफए ने अपनी स्थापना के बाद से ₹39.20 करोड़ (0.68 प्रतिशत) की दावा न की गई राशि वापस कर दी है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक, 1,185 कंपनियों से संबंधित कुल 12,092.35 लाख शेयर आईईपीएफ़ए के पास पड़े थे। आईईपीएफ़ए द्वारा स्थापना के बाद से निवेशकों को कुल 238.83 लाख शेयर (1.93 प्रतिशत) लौटाए गए हैं।

आईईपीएफए की अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं::

- आईईपीएफए के पास बंद हो चुकी कंपनियों के मामले में निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश/शेयर वापस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ऐसी कंपनियों से सत्यापन संभव नहीं था। ऐसी व्यवस्था के अभाव में, बंद होने से पहले कंपनियों द्वारा हस्तांतरित किए गए शेयर या दावा न किए गए लाभांश का दावा निवेशक नहीं कर सकते थे। 31 मार्च 2023 तक आईईपीएफए के पास बंद हो चुकी कंपनियों की लाभांश राशि ₹4.30 करोड़ थी।
- आईईपीएफए ज्यादातर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (सीएससी) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। हालांकि, आईईपीएफए द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों में आईपीपीबी, सीएससी और एनवाईकेएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत केवल 10.96 लाख नागरिकों को कवर किया गया। निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा डिजिटल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, सिनेमा और आउटडोर विज्ञापनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- आईईपीएफए ने मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) का चयन किया (मार्च 2020) और एनआईएसजी को कार्य आदेश जारी किया (अगस्त 2020)। इस परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, जुलाई 2024 तक

यह पूरा नहीं हुआ था। आज तक (जुलाई 2024) मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ-साथ आईओएस ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं था।

(पैरा 5.1)

भारी उद्योग मंत्रालय

एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी

वित्त मंत्रालय के 13 जनवरी 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज, जिनके वेतनमान और भत्ते तथा सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान नहीं हैं, संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से अधिक लाभकारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसायटी की एक इकाई इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने सोसायटी की गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के बिना और वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना, निदेशक, आईसीएटी की मंजूरी से सितंबर 2016 से प्रभावी एक प्रदर्शन लिंक्ड वैरिएबल पे स्कीम लागू की। इसके कारण 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान योजना के तहत नियमित कर्मचारियों (₹52.42 करोड़), संविदा कर्मचारियों (₹1.04 करोड़) और निदेशक, आईसीएटी (₹6.01 करोड़) को ₹59.47 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 6.1)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

तेल उद्योग विकास बोर्ड

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा ने आयकर पर अधिभार की दर का कम आकलन किया और अग्रिम कर का कम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹5.64 करोड़ की ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 8.1)

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर उर्वरकों के आयात को संभालने के लिए गोदाम बनाने हेतु भूमि के आवंटन के लिए एक पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए (जून 2008), लेकिन इसमें न्यूनतम

गारंटीकृत यातायात खंड को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए एक अलग समझौता प्रस्तुत किया (जनवरी 2009)। हालांकि, वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण न्यूनतम गारंटीकृत यातायात खंड के लिए अलग से समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रही और न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के लिए घाटशुल्क के लिए बैंक गारंटी भी एकत्र नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 9.1)

पर्यटन मंत्रालय

खाद्य शिल्प संस्थानों की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य शिल्प संस्थान के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित सोसायटी इस योजना के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। सहायता पर तभी विचार किया जाना था जब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सभी प्रकार से दोषमुक्त, कम से कम तीन एकड़ आकार का विकसित भू-खंड हस्तांतरित कर दिया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन मंत्रालय ने दिसंबर 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ₹2.00 करोड़ की निधि जारी की, जबकि राज्य सरकार द्वारा सोसायटी का गठन और सोसायटी को भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने योजना दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किए बिना फरवरी 2010 में खाद्य शिल्प संस्थान को मेरठ तथा उसके बाद जुलाई 2021 में गोरखपुर स्थानांतरित करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। परिणामस्वरूप, 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो खाद्य शिल्प संस्थान की स्थापना की गई है और न ही राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता वापस की है।

(पैरा 11.1)

पर्यटन मंत्रालय ने केरल के कोट्टायम में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम) की स्थापना के लिए ₹4.00 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की (सितंबर 2013)। तथापि, न तो केरल राज्य सरकार ने मंत्रालय को डीपीआर या कोई लागत अनुमान प्रस्तुत किया और न ही मंत्रालय ने राज्य सरकार से इसकी मांग की। इसके अलावा, मंत्रालय ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करने के मंत्रालय के अनुरोधों पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद, परियोजना को पूरा करने के लिए जुलाई 2016 की मूल निर्धारित समाप्ति तिथि के बजाय 31 दिसंबर 2022 तक का समय विस्तार दिया। परिणामस्वरूप, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना के इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

(पैरा 11.2)

पर्यटन मंत्रालय

भारतीय पाककला संस्थान

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय पाककला संस्थान के अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ सामने आईं:

- कैबिनेट की मंजूरी (मार्च 2014) के अनुसार, संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में विशिष्ट कार्यक्रम शामिल होने थे, जैसे कि पाककला और विज्ञान में बीएससी, पाककला में एमएससी, खाद्य और पेय सेवा प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा, अल्पकालिक कौशल उन्नयन कार्यक्रम और अभ्यासरत शेफ के लिए कौशल और योग्यता प्रमाणन। हालांकि, संस्थान ने केवल बीबीए (पाककला) और एमबीए (पाककला) पाठ्यक्रम पेश किए, और बीएससी, एमएससी या कोई भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया। इसके अलावा, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में बीबीए (पाककला) और एमबीए (पाककला) पाठ्यक्रमों में औसत नामांकन दोनों पाठ्यक्रमों में क्रमशः बैठने की क्षमता का केवल 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था।
- संस्थान को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग टेक्नोलोजी परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी थी। हालांकि, संस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को नामांकित किया। संस्थान के लिए आगे का रास्ता सुझाने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने भी संस्थान में अपर्याप्त छात्र प्रवेश के लिए इस विचलन को एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना।
- संस्थान को विश्व स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में काम करना था और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के लिए अनुसंधान और शिक्षण विकास को बढ़ावा देना था। हालांकि, संस्थान ने या तो पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया या पहले से स्थापित सुविधाओं का उपयोग नहीं किया। दोनों परिसरों में पुस्तकालय की सुविधाएं अपर्याप्त थीं, जबकि तिरुपति परिसर में कंप्यूटर लैब और अनुसंधान कार्य केंद्र अपर्याप्त थे। पाककला संग्रहालय भी कार्यात्मक नहीं थे और कोई पेटेंट और कानूनी प्रकोष्ठ नहीं था।
- संस्थान में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए समयसीमा 2014-15 थी। हालाँकि, भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, संस्थान के दोनों परिसर सीमित संविदा कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे।
- नोएडा और तिरुपति दोनों परिसरों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि निर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ उपयोग में नहीं थीं या रखरखाव न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे नोएडा परिसर की इमारत खस्ताहाल थी, लिफ्ट उपयोग में नहीं थीं और दोनों परिसरों में सीवेज और जल उपचार संयंत्र काम नहीं कर रहे थे। तिरुपति परिसर

में अग्नि अलार्म प्रणाली काम नहीं कर रही थी। दोनों परिसरों में रसोई और प्रयोगशाला उपकरण भी बेकार पड़े थे। इसके अलावा, संस्थान ने अपनी परिसंपत्तियों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई वार्षिक रखरखाव अनुबंध नहीं किया था। साथ ही, स्टोर और उपभोग्य सामग्रियों के संबंध में प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का अभाव था, जिससे बर्बादी या दुरुपयोग की संभावना थी।

- तिरुपति परिसर द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन न किए जाने तथा नोएडा परिसर के नाम पर भूमि का नामांतरण न किए जाने के कारण, दोनों परिसर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सके, जो संस्थान को आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक थीं। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां, भारतीय रेस्तरां, कैफे और भोजन के लिए निर्मित अवसंरचनाएं बेकार पड़ी रहीं। संचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान ₹25.48 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के विपरीत, दोनों परिसरों से केवल ₹8.09 करोड़ की वास्तविक आय हुई। परिणामस्वरूप, संस्थान के संचालन के तीसरे वर्ष से आत्मनिर्भर बनने का परिकल्पित उद्देश्य अधूरा रह गया।

इस प्रकार, अपनी स्थापना के नौ वर्ष बाद भी संस्थान अभी तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो पाया है और अपने परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है।

(पैरा 11.3)